**जे. पी. बी. बजंत्री के समक्ष,**

**ज्योति याचिकाकर्ता**

**बनाम**

**हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और अन्य-प्रतिवादी**

**2014 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 9619**

**17 फरवरी, 2017**

***भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 14 और 16 - भर्ती- सांख्यिकीय सहायता का पद-निर्धारित योग्यता/समतुल्यता योग्यता-जब भर्ती के नियम स्नातकोत्तर स्तर या बी. ए. स्तर पर एक पेपर के रूप में सांख्यिकी को निर्धारित करने के लिए बहुत विशिष्ट होते हैं, तो आवश्यक योग्यता का मतलब समकक्ष योग्यता नहीं है-भले ही कुछ विषयों को सांख्यिकी के साथ समान किया जाए, लेकिन निर्धारित योग्यता के बराबर करने के उद्देश्य से इस पर विचार नहीं किया जा सकता है-चयन आयोग को मनमानेपन से बचने के लिए साक्षात्कार समिति को विद्या सम्बन्धी या प्रतिस्पर्धी अंक भी प्रदान नहीं करने चाहिए-ऐसे अंकों को गोपनीय रखा जाना चाहिए-याचिका की अनुमति दी जानी चाहिए।***

यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रतिवादी संख्या 4 के साथ-साथ आयोग के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, सांख्यिकी विषय को मात्रात्मक विश्लेषण और प्रबंधकीय अनुप्रयोगों में शामिल किया गया है।इस प्रकार, चौथा प्रतिवादी सांख्यिकीय सहायक के पद के लिए आवश्यक योग्यता को पूरा करता है।जब भर्ती के नियम बहुत विशिष्ट हों तो वर्तमान मामले में वाणिज्य में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री के साथ या तो मास्टर स्तर पर सांख्यिकी या बी. ए. ऑनर्स स्कूल स्तर पर पेपर में से एक के रूप में सांख्यिकी या सांख्यिकी में मास्टर डिग्री।अपेक्षित योग्यता सांख्यिकी के समकक्ष योग्यता प्रदान नहीं करती है।दूसरे शब्दों में, उम्मीदवार के पास बी. ए. ऑनर्स स्कूल स्तर पर एक पेपर के रूप में सांख्यिकी, सांख्यिकी में मास्टर डिग्री या सांख्यिकी के साथ वाणिज्य होना चाहिए।सांख्यिकी के समकक्ष योग्यता के प्रिस्क्रिप्शन की अनुपस्थिति में में, सांख्यिकी की समकक्ष योग्यता को ध्यान में रखने का सवाल सांख्यिकी सहायक/निरीक्षक (एनएसएस)/अन्वेषक के पद को नियंत्रित करने वाले भर्ती के नियमों के विपरीत है। राज्य सरकार या विश्वविद्यालय या कोई सक्षम प्राधिकारी भले ही कुछ विषयों को सांख्यिकी के बराबर माना जाए, लेकिन इसे निर्धारित योग्यता के बराबर करने के उद्देश्य से नहीं माना जा सकता है क्योंकि भर्ती के नियमों में कोई समकक्ष योग्यता निर्धारित नहीं की गई है।

(पैरा 11)

इसके अलावा यह माना गया कि उत्तरदाता-राज्य के साथ-साथ चयन आयोग को यह इंगित करने के बाद कि उन्हें उम्मीदवारों को साक्षात्कार अंक देने में मनमानेपन से बचने के लिए साक्षात्कार समिति को उम्मीदवारों के विद्या सम्बन्धी या प्रतियोगी परीक्षा के अंक प्रदान नहीं करने चाहिए।यदि इस तरह के आयोजन में साक्षात्कार के अंकों में कोई विद्या सम्बन्धी अंक जोड़े जाने हैं तो यह साक्षात्कार के अंकों की घोषणा के बाद किया जा सकता है।दूसरे शब्दों में, विद्या सम्बन्धी अंकों की गणना साक्षात्कार सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों द्वारा की जानी चाहिए और उन्हें गोपनीय रखा जाना चाहिए।

(पैरा 20)

राम निवास शर्मा, अधिवक्ता

याचिकाकर्ता के लिए।

हरीश राठी, सीनियर डीएजी, हरियाणा।

अश्विनी तलवार, अधिवक्ता

प्रतिवादी संख्या 4 के लिए।

**पी. बी. बजंत्री, जे.**

(1) तत्काल रिट याचिका में, याचिकाकर्ता ने सांख्यिकीय सहायक के पद पर चौथे प्रतिवादी के चयन और नियुक्ति पर सवाल उठाया है और आगे याचिकाकर्ता के नाम पर सांख्यिकीय सहायक के पद पर विचार करने का निर्देश देने की मांग की है।

(2) 15.09.2010 पर, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (संक्षिप्त 'आयोग') ने सांख्यिकीय सहायक/निरीक्षक (एन. एस. एस.)/ अन्वेषक सहित विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन दिया। आयोग सांख्यिकी सहायक/निरीक्षक (एन. एस. एस.)/ अन्वेषक के तीन पदों को भरने के लिए योग्य व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करता है।याचिकाकर्ता और चौथा प्रतिवादी सांख्यिकीय सहायक के पद के उम्मीदवार हैं। 09.07.2013 पर, परिणाम अधिसूचित किए गए थे जिसमें चौथे प्रतिवादी को योग्य माना गया था, जबकि याचिकाकर्ता योग्य नहीं था।अतः, प्रतिवादी नं।4 सांख्यिकी सहायक के पद पर नियुक्त किया गया था।

(3) याचिका के समर्थन में याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि चौथा प्रतिवादी सांख्यिकीय सहायक के पद के लिए योग्य नहीं है क्योंकि वह मास्टर स्तर के एक पेपर के रूप में विशेष रूप से सांख्यिकी में सांख्यिकी सहायक के पद के लिए निर्धारित योग्यता को पूरा नहीं करता है। या यदि उम्मीदवार ने ऑनर्स स्कूल में गणित या अर्थशास्त्र में स्नातक भी किया है, तो सांख्यिकी के साथ बी.ए. के एक पेपर के रूप में। स्कूल स्तर पर ऑनर्स या सांख्यिकी में मास्टर डिग्री। जबकि, चौथे प्रतिवादी ने इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन एजुकेशन यूनिवर्सिटी, राजस्थान से मास्टर ऑफ कॉमर्स पास किया है। मास्टर ऑफ कॉमर्स से संबंधित अंक कार्ड के अवलोकन से, चौथे प्रतिवादी ने सांख्यिकी सहायक के पद के लिए निर्धारित विषयों में से एक के रूप में सांख्यिकी उत्तीर्ण नहीं की है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि चौथे प्रतिवादी का चयन करने के लिए चयन प्राधिकारी ने मनमाने ढंग से साक्षात्कार अंक प्रदान किए हैं। उन्हें इंटरव्यू में 19 अंक दिए गए हैं, जबकि याचिकाकर्ता को 8 अंक दिए गए हैं है। साथ ही 4 प्रतिवादी की शैक्षणिक योग्यता अंक 32.55 है, जबकि याचिकाकर्ता के 41.43 अंक हैं। इसे देखते हुए, चौथा प्रतिवादी सांख्यिकी सहायक के पद के लिए आवेदन करने के लिए अयोग्य है। नतीजतन, चौथे प्रतिवादी का चयन और नियुक्ति रद्द किये जाने योग्य है।

(4) दूसरी ओर, प्रतिवादी के लिए विद्वान अधिवक्ता-चयन प्राधिकरण ने प्रस्तुत किया कि चौथे प्रतिवादी यानी मास्टर ऑफ कॉमर्स द्वारा प्राप्त योग्यता में मात्रात्मक विश्लेषण और प्रबंधकीय आवेदन शामिल हैं।उक्त विषयों को सांख्यिकी के बराबर माना जाता है।इसलिए, चौथे प्रतिवादी का चयन और नियुक्ति सांख्यिकीय सहायक के पद के लिए निर्धारित योग्यता के अनुसार है।यह आगे प्रस्तुत किया गया कि साक्षात्कार में अंक देने के संबंध में चयन प्राधिकरण के खिलाफ कोई दुर्भावना नहीं है, जिसमें चौथे प्रतिवादी को 19 अंक और याचिकाकर्ता को 8 अंक दिए गए हैं।इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने चौथे प्रतिवादी के चयन और नियुक्ति में हस्तक्षेप के रूप में कोई मामला नहीं बनाया है।

(5) प्रतिवादी सं. के लिए विद्वान वकील।4 प्रस्तुत किया कि चौथा प्रतिवादी मास्टर ऑफ कॉमर्स के साथ योग्य है जिसमें मात्रात्मक विश्लेषण और प्रबंधकीय आवेदन शामिल हैं।उक्त विषय सांख्यिकी विषय के अभिन्न अंग हैं।इसलिए, चौथा प्रतिवादी सांख्यिकी विषय के साथ पूरी तरह से योग्य है।इसके समर्थन में, चौथे प्रतिवादी ने सांख्यिकी के साथ मात्रात्मक विश्लेषण और प्रबंधकीय अनुप्रयोगों की तुलना करने वाले विभिन्न संचारों पर भरोसा किया।उन्होंने आगे कहा है कि आई. ए. एस. ई. डीम्ड विश्वविद्यालय (राजस्थान) के माध्यम से प्राप्त पी. जी. डिग्री को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा पी. जी. डिग्री के बराबर माना जाता है।इसलिए, चौथे प्रतिवादी के पास सांख्यिकीय सहायक के पद के लिए निर्धारित आवश्यक योग्यता है।अतः याचिकाकर्ता ने कोई मामला नहीं बनाया है।जहाँ तक साक्षात्कार समिति द्वारा अंक प्रदान करने का संबंध है, उन्होंने चयन प्राधिकरण के खिलाफ किसी भी दुर्भावना का आरोप नहीं लगाया है ताकि यह तर्क दिया जा सके कि याचिकाकर्ता को साक्षात्कार में चौथे प्रतिवादी की तुलना में कम अंक दिए गए हैं।

(6) पक्षकारों की विद्वान अधिवक्ता सुनी।

(7) याचिकाकर्ता ने सांख्यिकीय सहायक के पद के लिए चौथे प्रतिवादी के चयन और नियुक्ति पर इस आधार पर सवाल उठाया है कि चौथा प्रतिवादी पद के लिए निर्धारित आवश्यक योग्यता को पूरा नहीं करता है।इस संबंध में, सांख्यिकीय सहायक/निरीक्षक (एन. एस. एस.)/अन्वेषक के पद के लिए निर्धारित प्रासंगिक योग्यता निकालना आवश्यक है, जो निम्नानुसार हैः-

" सांख्यिकी सहायक/निरीक्षक (एनएसएस)/अन्वेषक

(जीईएन = 2, ईएसएम बीसीए = 1)

ई. क्यू.

i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या कृषि अर्थशास्त्र या गणित या वाणिज्य में सांख्यिकी के साथ मास्टर डिग्री या तो मास्टर स्तर पर या यदि उम्मीदवार ने गणित या अर्थशास्त्र में ऑनर्स स्कूल में भी स्नातक किया है, तो सांख्यिकी के साथ बी. ए. ऑनर्स स्कूल स्तर पर एक पेपर के रूप में सांख्यिकी या सांख्यिकी में मास्टर डिग्री;

मास्टर डिग्री के मामले में उन लोगों को वरीयता दी जाएगी जिनके पास किसी सरकारी कार्यालय में सांख्यिकीय डेटा के संग्रह, संकलन और विश्लेषण में एक वर्ष का अनुभव है।

या

वैकल्पिक विषयों में से एक के रूप में अर्थशास्त्र या गणित या कृषि अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या वाणिज्य के साथ स्नातक।

स्नातक के मामले में किसी सरकारी कार्यालय में सांख्यिकीय डेटा के संग्रह, संकलन और विश्लेषण का तीन साल का अनुभव।

(ii) मैट्रिक मानक तक हिंदी/संस्कृत।"

(8) सांख्यिकी सहायक के पद के लिए निर्धारित उपरोक्त मानदंडों और योग्यता के अवलोकन से संकेत मिलता है कि वाणिज्य में मास्टर डिग्री के मामले में, किसी के पास "सांख्यिकी के साथ वाणिज्य या तो मास्टर स्तर पर या यदि उम्मीदवार ने गणित या अर्थशास्त्र में ऑनर्स स्कूल में भी स्नातक किया है, तो सांख्यिकी के साथ बी. ए. ऑनर्स स्कूल स्तर पर या सांख्यिकी में मास्टर डिग्री" होना चाहिए।शिक्षा विश्वविद्यालय, सरदारशहर, राजस्थान में उन्नत अध्ययन संस्थान से संलग्नक आर-4/4 के माध्यम से चौथे प्रतिवादी द्वारा प्राप्त मास्टर ऑफ कॉमर्स की डिग्री का अवलोकन, निम्नलिखित विषय हैं जो ज्योति शर्मा बनाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के रूप में पढ़े जाते हैं।

इसके अंतर्गतः-

"एमसीएम 110:प्रबंधन कार्य और व्यवहार; एमसीएम 120:प्रबंधकों के लिए लेखांकन;

एमसीएम 130:मात्रात्मक विश्लेषण और प्रबंधकीय अनुप्रयोग;

एमसीएम 140:प्रबंधकीय अर्थशास्त्र।"

(9) उपरोक्त विषयों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी नं.4 सांख्यिकी को एक विषय के रूप में उत्तीर्ण नहीं किया है।

(10) अब, विचार के लिए सवाल यह है कि क्या "मात्रात्मक विश्लेषण और प्रबंधकीय अनुप्रयोग" विषय को सांख्यिकी के समान माना जा सकता है या नहीं?

(11) प्रतिवादी संख्या 4 के साथ-साथ आयोग के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, सांख्यिकी विषय को मात्रात्मक विश्लेषण और प्रबंधकीय अनुप्रयोगों में शामिल किया गया है।इस प्रकार, चौथा प्रतिवादी सांख्यिकीय सहायक के पद के लिए

आवश्यक योग्यता को पूरा करता है।जब भर्ती के नियम बहुत विशिष्ट हों तो वर्तमान मामले में वाणिज्य में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री के साथ या तो मास्टर स्तर पर सांख्यिकी या बी. ए. ऑनर्स स्कूल स्तर पर पेपर में से एक के रूप में सांख्यिकी या सांख्यिकी में मास्टर डिग्री।अपेक्षित योग्यता सांख्यिकी के समकक्ष योग्यता प्रदान नहीं करती है।दूसरे शब्दों में, उम्मीदवार के पास बी. ए. ऑनर्स स्कूल स्तर पर एक पेपर के रूप में सांख्यिकी, सांख्यिकी में मास्टर डिग्री या सांख्यिकी के साथ वाणिज्य होना चाहिए।सांख्यिकी के समकक्ष योग्यता के प्रिस्क्रिप्शन की अनुपस्थिति में में, सांख्यिकी की समकक्ष योग्यता को ध्यान में रखने का सवाल सांख्यिकी सहायक/निरीक्षक (एनएसएस)/अन्वेषक के पद को नियंत्रित करने वाले भर्ती के नियमों के विपरीत है।राज्य सरकार या विश्वविद्यालय या कोई सक्षम प्राधिकारी भले ही कुछ विषयों को सांख्यिकी के बराबर माना जाए, लेकिन इसे निर्धारित योग्यता के बराबर करने के उद्देश्य से नहीं माना जा सकता है क्योंकि भर्ती के नियमों में कोई समकक्ष योग्यता निर्धारित नहीं की गई है।इसके अलावा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र के कुलसचिव के लिए सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक) ने अपने दिनांक 04.01.2013 (अनुलग्नक आर-4/8) के संचार के माध्यम से निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः-

**" कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र**

(1956 के राज्य विधायी अधिनियम XII द्वारा स्थापित) ("ए" ग्रेड, एन. ए. ए. सी. मान्यता प्राप्त)

एसीएस-II/13/18208

तारीखः04.01.2013

को।

सहायक निदेशक बजट और योजना

ओ/ओ महानिदेशक, उच्च शिक्षा

हरियाणा, पंचकुला।

विषयःएम. ए. अर्थशास्त्र (मात्रा विधि) के बारे में जानकारी सांख्यिकी के बराबर है।

प्रिय महोदय,

कृपया ऊपर दिए गए विषय पर अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/7-2012 ME (4) दिनांक 21.12.2012 देखें।

यह आपको सूचित करने के लिए है कि एक पेपर के रूप में एम. ए. अर्थशास्त्र (मात्रा विधि) का विषय शिक्षण उद्देश्यों के लिए सांख्यिकी के बराबर नहीं है, लेकिन दाखिल किए गए पदों/सर्वेक्षणों के लिए यह कहा जा सकता है कि छात्रों को आवश्यक सांख्यिकीय उपकरण सीखने को मिलते हैं।

आपका विश्वासी,

एस. डी./ सहायक पंजीयक (शैक्षणिक) पंजीयक के लिए।"

(12) तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, चौथे प्रतिवादी ने इस न्यायालय की सराहना नहीं की है कि उसने सांख्यिकीय सहायक के पद के लिए निर्धारित योग्यता को पूरा किया है।

(13) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि आयोग ने साक्षात्कार में अंक प्रदान करते हुए याचिकाकर्ता को मनमाने ढंग से 8 अंक दिए, जबकि चौथे प्रतिवादी को 19 अंक दिए गए हैं।यह आगे प्रस्तुत किया गया कि साक्षात्कार समिति याचिकाकर्ता के साथ-साथ चौथे प्रतिवादी के विद्या सम्बन्धी योग्यता अंकों से अवगत थी कि याचिकाकर्ता की विद्या सम्बन्धी योग्यता 41.43 है, जबकि चौथे प्रतिवादी 32.55 है।याचिकाकर्ता को समाप्त आदेश के लिए, उसे चौथे प्रतिवादी को क्रमशः 8 अंक और 19 अंक दिए गए हैं।

(14) विद्वान राज्य वकील को निर्देश दिया गया था कि वे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार अंक देने से संबंधित मूल रिकॉर्ड प्रस्तुत करें ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि अंक देने में कोई मनमानी हुई है या नहीं। जबकि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अंक देने की कुछ टाइप की हुई प्रति उपलब्ध कराई गई थी जो मूल की सच्ची प्रति नहीं है। जब साक्षात्कार में अंक देने से संबंधित मूल अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए कहा गया तो बताया गया कि उसे नष्ट कर दिया गया है। इस प्रकार, मामला था 15.02.2017 को पुनः सुनवाई हुई और मामला सुरक्षित कर लिया गया।

(15) विद्वान राज्य के वकील ने सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय प्रस्तुत किया ***प्रितपाल सिंह आदि बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 1*** जिसमें इसे निम्नलिखित रूप में रखा गया हैः-

"23. बोर्ड को निर्देश दिया जाता है कि चयन के परिणाम की घोषणा के बाद कम से कम तीन महीने तक उम्मीदवारों के उत्तर पत्र और परीक्षकों द्वारा बनाए गए अंकों की सारणी को संरक्षित किया जाए।चयन से संबंधित बोर्ड के सभी अभिलेखों को कालानुक्रमिक रूप से फाइलों या रजिस्टरों में रखा जाएगा और इन्हें भी उपरोक्त अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा।"

(16) उस हद तक, हरियाणा राज्य ने 01.10.1994 दिनांकित एक प्रस्ताव पारित किया है, जो निम्नानुसार हैः-

"भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1994 के एस. एल. पी. सं. 7798-807/92 (सिविल अपील सं. 5027-36 प्रीत पाल सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य) में पारित आदेशों को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने दिनांकित 27.7.92 के प्रस्ताव के भाग (ii) को इस हद तक संशोधित करने का संकल्प किया है कि उत्तर पत्र यानी उत्तर पुस्तिकाएं (लिखित परीक्षा परिणाम, पुरस्कार सूचियों, प्रमुख पुस्तक को छोड़कर) चयन के परिणाम की घोषणा की तारीख से तीन महीने के बाद नष्ट कर दी जाएंगी।"

1 (1994) 5 एससीसी 695 594

(17) याचिकाकर्ता का एक तर्क यह है कि याचिकाकर्ता विद्या सम्बन्धी में चौथे प्रतिवादी की तुलना में अधिक योग्य है और चौथे प्रतिवादी को समायोजित आदेश के लिए, याचिकाकर्ता को 8 अंक दिए गए हैं, जबकि चौथे प्रतिवादी को 19 अंक दिए गए हैं।इसलिए, इस मामले में भी, चौथे प्रतिवादी का चयन और नियुक्ति को अलग रखा जा सकता है।

(18) साक्षात्कार समिति द्वारा मूल्यांकन के अवलोकन और साक्षात्कार के अंकों के पुरस्कार की अनुपस्थिति में में, क्या यह मनमाना है या अवैध है, उक्त मुद्दे को रिकॉर्ड की अनुपस्थिति में में तय नहीं किया जा सकता है।भले ही अभिलेख के सामने याचिकाकर्ता और चौथे प्रतिवादी के विद्या सम्बन्धी और साक्षात्कार के अंक कुछ मनमानेपन को प्रकट करते हैं।

(19) दूसरे मुद्दे पर कि चौथा प्रतिवादी सांख्यिकीय सहायक के पद के लिए निर्धारित योग्यता को पूरा नहीं करता है, उसका चयन और नियुक्ति अलग की जा सकती है।तदनुसार, यह सेट किया गया है एक तरफ। प्रतिवादी करने वाले अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे सांख्यिकीय सहायक के पद पर चयन और नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के नाम पर पुनर्विचार करें, यदि वह अन्यथा पात्र और अधिक योग्य है।उपरोक्त अभ्यास आज से तीन महीने की अवधि के भीतर संबंधित प्रतिवादी द्वारा पूरा किया जाएगा।

(20) उत्तरदाता-राज्य के साथ-साथ चयन आयोग यहां यह इंगित करता है कि उन्हें उम्मीदवारों को साक्षात्कार अंक देने में मनमानेपन से बचने के लिए साक्षात्कार समिति को उम्मीदवारों के विद्या सम्बन्धी या प्रतिस्पर्धी परीक्षा अंक प्रदान नहीं करने चाहिए।यदि इस तरह के आयोजन में साक्षात्कार के अंकों में कोई विद्या सम्बन्धी अंक जोड़े जाने हैं तो यह साक्षात्कार के अंकों की घोषणा के बाद किया जा सकता है।दूसरे शब्दों में, विद्या सम्बन्धी अंकों की गणना साक्षात्कार सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों द्वारा की जानी चाहिए और उन्हें गोपनीय रखा जाना चाहिए।

(21) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक लंबा रास्ता तय किया है, जिसमें सरकार और उसके उपकरणों को अपने कार्यों में पारदर्शी होने की आवश्यकता है, ताकि एक जानकार नागरिक तब

भ्रष्टाचार को रोकने और सरकारों और उनके उपकरणों को भारत के लोगों के प्रति जवाबदेह बनाने में सक्षम हो **सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन भारत और अन्य बनाम भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण और अन्य 2** में हाल ही में दिए गए एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः-

"92. हम पाते हैं कि कुछ अच्छी तरह से परिभाषित अपवादों के अधीन, यह हमारे लोकतंत्र का एक स्वस्थ कार्यकरण होगा यदि सभी अधीनस्थ विधान ऊपर बताए गए तरीके से "पारदर्शी" हों।चूँकि आम तौर पर अधीनस्थ विधान से निपटना इस निर्णय के दायरे से बाहर है, और विशेष रूप से उन कानूनों के साथ जो पारदर्शिता की किसी भी अतिरिक्त आवश्यकता के बिना नियम बनाने और विनियमन बनाने का प्रावधान करते हैं, हम संसद को इस मुद्दे को उठाने और अमेरिकी प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम (कुछ अच्छी तरह से

2 (2016) 7 एस. सी. सी. 703

परिभाषित अपवादों के साथ) की तर्ज पर एक कानून बनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जिसके द्वारा सभी अधीनस्थ विधान एक पारदर्शी प्रक्रिया के अधीन हैं जिसके द्वारा सभी हितधारकों के साथ उचित परामर्श किया जाता है, और नियम या विनियमन बनाने की शक्ति का प्रयोग सभी हितधारकों की प्रस्तुतियों पर उचित विचार करने के बाद किया जाता है, एक व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ जो व्यापक रूप से ध्यान में रखता है कि उन्होंने क्या कहा है और सहमत होने के कारणों को ध्यान में रखता है या उनसे असहमत होना।इस तरह के कानून न केवल अधीनस्थ कानून बनाने में मनमानेपन को कम करेंगे, बल्कि यह शासन में खुलेपन को भी बढ़ावा देगा।यह अधीनस्थ विधान बनाने से पहले संबंधित हितधारकों की शिकायतों का आंशिक या अन्यथा निवारण भी सुनिश्चित करेगा।इससे, कई मामलों में, इस तरह के कानून के स्पष्ट रूप से मनमाना या अनुचित होने के आधार पर अधीनस्थ कानून को रद्द करने के लिए व्यक्तियों को अदालतों का दरवाजा खटखटाने की आवश्यकता दूर हो जाएगी।"

(22) **आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य (संविधान पीठ) 3** के मामले में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गयाः-

"167. योग्यता विभिन्न जांच विधियों के आधार पर किसी भी व्यक्ति के मूल्य का संचयी मूल्यांकन है।आदर्श रूप से, प्रभावकारिता, निष्पक्षता और जनता का विश्वास सुनिश्चित करने के लिए सरकारी कॉलेजों और निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों दोनों के लिए राज्य द्वारा एक सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए।जैसा कि ए. एफ. आर. सी. की ओर से उपस्थित मध्य प्रदेश राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री पुरुषेंद्र कौरव ने सही तर्क दिया है, राज्य द्वारा आयोजित एक सामान्य प्रवेश परीक्षा अधिक फायदेमंद है।:-

(i) मृदुल धर मामले (2005) 2 एससीसी 65 में निर्धारित समय-सारणी का पालन करना;

(ii) परीक्षा और परामर्श के अनेक केंद्र पूरे राज्य में सिंगल विंडो सिस्टम लागू होगा प्रवेश;

(iii) मानक प्रश्न पत्र, प्रश्न का संरक्षण पेपर और उत्तर पुस्तिकाओं के लीक होने की रोकथाम

प्रश्नपत्र एवं निष्पक्ष मूल्यांकन एवं

(iv) न्यूनतम मुकदमेबाजी

इसके अलावा, विभिन्न कॉलेजों को योग्यता सूची, परामर्श और आवंटन तैयार करने की प्रक्रिया सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन है और इस प्रकार पूरी प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है।"

(23) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 और उच्चतम न्यायालय द्वारा बाद में निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, राज्य को मूल चयन अभिलेखों के संरक्षण के लिए अपने निर्देशों को फिर से जारी करने के लिए गंभीर प्रयास करना होगा।चयन अभिलेखों को उन्नत तकनीक का उपयोग करके स्कैन करके संग्रहीत किया जा

3 (2016) 7 एससीसी 353 596

सकता है।

(24) हरियाणा राज्य के मुख्य सचिव को इस मामले को देखना चाहिए और उचित कदम उठाने चाहिए और चार महीने के भीतर इस न्यायालय की पंजीकरण को अनुपालन की रिपोर्ट देनी चाहिए।इस फैसले की प्रति हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव को भेजी जाए।

(25) तत्काल रिट याचिका की अनुमति है।

पायल मेहता

**अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।**

**आशिमा गर्ग**

**प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी**

**गुरूग्राम, हरियाणा**